18 19

जिला स्वास्थ्य समिति, कैमूर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार सरकार

सदर अस्पताल कैम्पस भभुआ, जिला–कैमूर -821101, बिहार

फोन / फैक्स:-06189–224695,ई–मेल:-dhskaimur@gmail.com

बिहार सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

NATIONAL HEALTH MISSION

वॉक–इन–इन्टरव्यू

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक–5274 दिनांक–16.11.2016 के आलोक में जिले के चयनित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 24X7 संस्थान के रूप में कार्यरत करने एवं चिकित्सा संबंधी कार्यों के सुदृढ़ीकरण हेतु सामान्य चिकित्सक के रिक्त पदों पर संविदा / मानदेय के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए नियोजन हेतु वाक–इन–इन्टरव्यू आयोजित किया जाता है। कार्य संतोषजनक मूल्यांकन उपरांत सामान्य चिकित्सक की संविदा को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना के निदेशानुसार निर्धारित अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। वॉक–इन–इन्टरव्यू <u>प्रत्येक माह के दुसरे एंव चौथे मंगलवार</u> (माह मार्च'17 हेतु दिनांक 28.03.2017 को) पूर्वाहन् 11:00 बजे से अपराहन् 01 बजे तक जिला पदाधिकारी, कैमूर के सभाकक्ष में आयोजित किया जाएगा, जिसमें इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार भाग ले सकेंगें।

क्र0	संविदा आधारित पद का नाम	कुल रोस्टर रिक्ति	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुपात	मानदेय
01	सामान्य चिकित्सक एम.बी.बी.एस.	कुल रिक्त – 11 सामान्य – 4, सामान्य (महिला) – 2, पिछड़ा वर्ग – 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग – 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला) – 1, अनुसूचित जाति – 1, अनुसूचित जाति (महिला) – 1	1. किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस.स्नातक योग्यता के साथ बिहार एवं उडीसा मेडिकल एक्ट 1916 के अन्तर्गत स्थायी रूप से निबंधित। 2. भारतीय चिकित्सा परिषद एवं सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पताल / संस्थान में 12 माह का अनिवार्य इन्टर्नशीप प्रशिक्षण अनिवार्य है। इन्टर्रशीप में किसी कारण से एक दिन का भी टूट मान्य नहीं होगा। 3. बिहार राज्य चिकित्सा परिषद से स्थायी निबंधन होना अनिवार्य है।	रू0 41,000 / – प्रति माह

<u>सामान्य निर्देश:–</u>

नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए होगी अथवा जबतक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से राशि प्राप्त होती रहेगी, जो भी पहले हो। संतोषजनक कार्य मूल्यांकन उपरांत संविदा को अगले 11 (ग्यारह) माह या राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा प्राप्त निदेशानुसार अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

<u>उम्र सीमा :–</u> अभ्यर्थी के आयु सीमा की गणना दिनांक 28.03.2017 के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

- अनारक्षित वर्ग–40 वर्ष
- पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग–43 वर्ष
- महिला (अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग)– 43 वर्ष
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवुं महिला)– 45 वर्ष

2. बिहार सरकार के नियमानुसार आरक्षण रोस्टर लागु होगा।
3. किसी भी प्रखण्ड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 24X7 हेतु उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य प्रखण्ड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु चयनोपरान्त पदस्थापित किया जा सकता है।
4. जिला स्वास्थ्य समिति, कैमूर को उक्त पद के किसी एक अथवा सभी कोटि को रद्द करने / सुरक्षित रखने / आंशिक संशोधन करने का अधिकार होगा एंव इसके लिए किसी भी प्रकार का दवा मान्य नहीं होगा।

23/02/17

सिविल सर्जन–सह–सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, कैमूर (भभुआ)

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, कैमूर (भभुआ)